जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/3200

दिनांक : 15-06-2016

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार **अवध माधव नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर** को **सत्र 2014-15** के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.एस.-सी. नर्सिंग, पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्ते एवं प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय में पुस्तकालय की स्थिति, असंतोषजनक है उसमें सुधार किया जाये। पुस्तकों की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाये और उन पर सील लगाई जायें। रु. 50,000/- की नई पुस्तकें कय की जायें।
2. कम्युनिटी किट पाठ्यकमानुसार 20 की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
3. पोषक प्रयोगशाला मय सामग्री के तैयार की जाये।
4. महाविद्यालय में स्थायी नाम पट्टिका शीघ्र लगवाई जाये।
5. प्राचार्य व शिक्षकों की नियुक्तियां 28/17 में कराई जायें और उनका अनुमोदन कार्यपरिषद से करवाया जाये।
6. शासी निकाय का गठन करवाकर बैठकों का आयोजन करें और कार्यविवरण प्रस्तुत करें।
7. खेल सामग्री और सुविधाओं का विकास किया जावे।
8. शिक्षक व कर्मचारियों को भुगतान चैक द्वारा किया जाये।
9. स्मार्ट क्लास का विकास किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, अवध माधव नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. सचिव, इण्डियन नर्सिग कौंसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्